

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 1061 / 14

संस्थापन दिनांक:-29 / 12 / 14

फायलिंग नं. 233504003722014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

महेश पिता व्यंकट साहू, उम्र 25 वर्ष
निवासी मंगल भवन के पास आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (उ.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 14.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 16.12.2014 को समय 03:30 बजे नागदेव मंदिर के पास जम्बाड़ा रोड थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत हीरो होण्डा स्लेण्डर क. एमपी-48-एमएच-0759 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2014 को फरियादी संजय और उसकी मौसी मटलीबाई कुवरलाल के यहां पैदल जा रहे थे। तभी दिन करीब 03:30 बजे जैसे ही वे जम्बाड़ा रोड नागदेव मंदिर के पास पहुंचे तो पीछे से एक मोटर सायकिल चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मौसी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौसी गिर पड़ी। मोटर सायकिल हीरो होण्डा क. एमपी-48-एमएच-0759 थी जिसे महेश साहू चला रहा था। टक्कर लगने से उसकी मौसी को सिर, नाग तथा बांये पैर में चोट आयी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में हीरो होण्डा मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमएच-0759 के चालक महेश साहू के विरुद्ध अपराध क. 1048/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमएच-0759 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में आहत मटलीबाई का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क्र. एमपी-48-एमएच-0759 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 मटलीबाई (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय पैदल मंगल भवन की तरफ जा रही थी तभी पीछे से एक मोटर सायकिल तेजी से आयी और मोटर सायकिल चालक ने टक्कर मारकर भाग गया। संजय (अ.सा.-2) एवं राहुल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त महेश मोटर सायकिल को तेजी से चलाकर लाया और मटलीबाई को टक्कर मारकर भाग गया। साक्षीगण ने यह भी बताया है कि उन्होंने मोटर सायकिल चालक को देख लिया था। मुकेश (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त महेश ने मोटर सायकिल से उसकी मौसी को टक्कर मार दिया था।

7 मटलीबाई (अ.सा.-4) एवं मुकेश (अ.सा.-1) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा सुझाव दिये जाने पर यह गलत होना बताया है कि मोटर सायकिल अभियुक्त महेश चला रहा था। मटलीबाई (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी कैसे चल रही थी वह नहीं देख पायी थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि संजय और मुकेश टक्कर होने के बाद मौके पर आये थे। राहुल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना होने के बाद आवाज सुनकर मौके पर आया। गाड़ी कौन चला रहा था और कैसे चल रही थी वह देख नहीं पाया था। संजय (अ.सा.-2) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय घर पर था। वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा। साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि गाड़ी कौन चला रहा था वह नहीं देख पाया था। मुकेश (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को

सही बताया है कि उसके सामने घटना घटित नहीं हुई थी। वह मोटर सायकिल चालक को भी नहीं जानता है और न ही मौके पर मोटर सायकिल को देखी थी।

8 प्रकरण में आहत एवं फरियादी के द्वारा राजीनामा कर लिए जाने एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को दृष्टिगत रख अन्य साक्षियों को साक्ष्य हेतु आहूत नहीं किया गया है। प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को मोटर सायकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क. एमपी-48-एमएच-0759 अभियुक्त महेश ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क. एमपी-48-एमएच-0759 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। फलतः अभियुक्त महेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए द.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

11 प्रकरण में जप्तशुदा हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क. एमपी-48-एमएच-0759 आवेदक/सुपुर्ददार मूलचंद उर्फ राजू साहू पिता कन्हैयालाल साहू निवासी वार्ड क. 1 इतवारी चौक आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)